

न्यायालय उपजिलाधिकारी कुम्डा, प्रतापगढ़

वाद संख्या- 65

परमेश्वर प्रसाद मेवा लाल डिग्री कालेज, मालाधर छत्ता द्वारा प्रबन्धक कुलदीप पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम मालाधर छत्ता, पश्चिम डिगवस्त, तहसील कुम्डा, प्रतापगढ़.....वादी बनाम

ग्राम सभा प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा-143 का 0वि0अवि0 भूमि स्थित ग्राम सरायसतमावागरीबी, पश्चिम डिगवस्त, तहसील कुम्डा, प्रतापगढ़।

निर्णय

पत्रावली पर संलग्न वाद पत्र परमेश्वर प्रसाद मेवा लाल डिग्री कालेज, मालाधर छत्ता द्वारा प्रबन्धक कुलदीप पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम मालाधर छत्ता, पश्चिम डिगवस्त, तहसील कुम्डा, प्रतापगढ़ बाबत भूमि स्थित ग्राम सरायसतमावा गरीबी, पश्चिम डिगवस्त, तहसील कुम्डा की गाटा संख्या 63ख मि0 रकबा 0.508हे0, 63ग रकबा 0.120हे0 में 0.013हे0, व 60 रकबा 1.037हे0 में 0.395हे0 व गाटा संख्या 63ख रकबा 0.870हे0 में 0.084हे0 व गाटा संख्या 70ग रकबा 0.038हे0 में 0.005हे0 कुल 06 किता रकबा 1.003हे0 भूमि को वादी द्वारा अनिलेख में अकृषिक दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार कुम्डा से कराई गयी। तहसीलदार कुम्डा को जांच आख्या दिनांकित 27.3.2015 शामिल पत्रावली है। तहसीलदार कुम्डा ने अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि ग्राम सरायसतमावा गरीबी, पश्चिम डिगवस्त, तहसील कुम्डा की गाटा संख्या 63ख मि0 रकबा 0.508हे0, 63ग रकबा 0.120हे0 में 0.013हे0, व 60 रकबा 1.037हे0 में 0.395हे0 व गाटा संख्या 63ख रकबा 0.870हे0 में 0.084हे0 व गाटा संख्या 70ग रकबा 0.038हे0 में 0.005हे0 कुल 06 किता रकबा 1.003हे0 भूमि जो वादी की संक्रमणीय भूमि है, मौके पर उक्त भूमि पर महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जांच से स्पष्ट है कि दी गयी भूमि अधिवाहित रूप से अकृषिक हो चुका है, जिसमें वादी कृषि कारवाही अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन है से अलग-अलग प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कर रहा है।

पत्रावली का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुम्डा की आख्या दिनांक 27.3.2015 से सहमत हूँ। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः तहसीलदार कुम्डा प्रतापगढ़ की आख्या दिनांक 27.3.2015 स्वीकार करते हुए ग्राम सरायसतमावागरीबी, पश्चिम डिगवस्त, तहसील कुम्डा की गाटा संख्या 63ख मि0 रकबा 0.508हे0, 63ग रकबा 0.120हे0 में 0.013हे0, व 60 रकबा 1.037हे0 में 0.395हे0 व गाटा संख्या 63ख रकबा 0.870हे0 में 0.084हे0 व गाटा संख्या 70ग रकबा 0.038हे0 में 0.005हे0 कुल 06 किता रकबा 1.003हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। किसी अन्यथा उपयोग की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक कुम्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। तदनुसार वाद अमल दस्तानद पत्रावली वाकिल दफ्तर हो।

दिनांक-

अहोकार

Rajendra Singh

01-04-15

27-3-15
उपजिलाधिकारी,
कुम्डा-प्रतापगढ़।



PRINCIPAL
Parmeshwar Prasad Mewalal Pharmacy College
Maladhar Chhatta, Kunda-Pratapgarh

पत्रावली संख्या- 1092
दिनांक- 2.4.15
वादी दिनांक-
प्रतिवादी दिनांक-